न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—113 सन् 2017

सुरेश प्रसाद वगैरह.....वादीगण।

बनाम

जानकी राम वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक— 20.07.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 13.06.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 जानकी राम की मृत्यु दिनांक 24.08.2022 को अपने चार लड़का दो लड़की को छोड़कर हो गई है। जानकी राम की पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है। उक्त वाद में चारों लड़का पहले से पक्षकार है। वादी आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 01 के दोनों पुत्रियों को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 का नाम अर्जीदावी से कलमजद करन उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 जानकी राम थे जिनकी मृत्यु दिनांक 24.08.2022 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 01 के चारों पुत्र पहले से उक्त वाद में पक्षकार हैं तथा उनकी पुत्रियों का नाम उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके

कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 13.06.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत 'बिहार सरकार' के पक्ष में जमा करें।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।